

शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप
(Certificate for exemption in tuition fees)

- (यह प्रमाण-पत्र आर्वांटेड महाविद्यालय में रिपोर्ट करते समय प्रस्तुत किया जाना है।)
- हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को चाहिए कि जो लागू न होता हो उसे काट दे।
- प्रार्थनापत्र अपूर्ण होने पर शुल्क में छूट नहीं दी जायेगी
- उपरोक्त प्रमाण-पत्र छात्र/छात्रा को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के आरम्भ में भी देना होगा।)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
के पिता/माता, श्री/श्रीमती
(राज्य कर्मचारी का नाम)

1. राजस्थान सरकार का कर्मचारी है ।
2. राजस्थान सरकार का कर्मचारी है परन्तु मेरे अधीन डेपुटेशन पर कार्य कर रहा है ।
3. राजस्थान सशस्त्र दल (R.A.C.) जो राजस्थान के बाहर नियुक्त है —का कर्मचारी है ।
4. भूतपूर्व सैनिक (Ex-Service man) है जो —
(अ) स्थायी रूप से अपाहिज है ।
(ब) नेफा/लद्दाख/पाकिस्तान सीमा युद्ध के परिणाम स्वरूप मारा गया ।

तथा वह मेरे अधीन पद पर कार्य
कर रहा है/था/ तथा इनके द्वारा कोई आयकर नहीं दिया जाता है ।

इनका मूल वेतन मंहगाई वेतन
अतिरिक्त मंहगाई भत्ता अन्तरिम राहत
मकान किराया योग प्रतिमाह, वेतन श्रृंखला
में है तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक है ।

हस्ताक्षर
विभागाध्यक्ष अथवा राजपत्रित नियंत्रण अधिकारी
(Head of Dept. or Gazetted Controlling Officer)
(पद व कार्यालय की मुहर)

मैं सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक घोषित करता हूं कि
मेरा पुत्र/पुत्री/भाई/बहिन अविवाहित है तथा पूर्णतया मुझ पर आश्रित है ।

राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर

राज्य कर्मचारी पर आश्रित भाई/बहिन के लिये
शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप
(Certificate for exemption in tuition fees)

- अगर अभ्यर्थी राज्य कर्मचारी का भाई/बहिन है तो निम्न प्रारूप का उपयोग करें।
- प्रार्थनापत्र अपूर्ण होने पर शुल्क में छूट नहीं दी जायेगी।
- जो लागू न हो उसे काट देवे।

मैं.....पुत्र श्री.....
सत्यनिष्ठा से शपथ कर बयान करता हूँ कि मेरा भाई/बहिन.....
पुत्र/पुत्री अविवाहित है, वित्तीय-खर्च के लिये पूर्णतया मुझ पर आश्रित है।
मेरे पिता जीवित नहीं है/मेरे पिता.....वर्ष के वृद्ध है और उनकी कुल आय सब स्रोतों से
शून्य है/मेरे पिता अंधे / पागल या अशक्त है और कुछ भी कमाने में असमर्थ है ।

हस्ताक्षर
राज्य कर्मचारी
(अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित)

श्री.....मेरे अधीन
.....पद पर कार्य कर रहा है/था/ तथा इनके द्वारा कोई आयकर नहीं दिया जाता है।

इनका मूल वेतन मंहगाई वेतन
अतिरिक्त मंहगाई भत्ता अन्तरिम राहत
मकान किराया योग प्रतिमाह, वेतन श्रृंखला
में है तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक है ।

हस्ताक्षर
विभागाध्यक्ष अथवा राजपत्रित नियंत्रण अधिकारी
(Head of Dept. or Gazetted Controlling Officer)
(पद व कार्यालय की मुहर)

शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (Tuition Fee Waiver Scheme)

के अन्तर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के अभिभावक की आय के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

- यह प्रमाण-पत्र शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना अन्तर्गत प्रवेश पाने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वरीयता प्राप्त (Meritorious) अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जावे जिनके माता/पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 8.00 लाख रुपये से कम हो।
- आवंटित महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्र एवं शेष शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावे।

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी
(अभ्यर्थी का नाम)

के माता/पिता/संरक्षक श्री/श्रीमती.....
(पिता/माता/संरक्षक का नाम)

की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये (अंको में).....
(शब्दों में)..... है ।

ये मेरे अधीनके पद पर
कार्यरत है।*

दिनांक :

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
(पद व कार्यालय की मुहर)

नोट :-

1. *राज्य/भारत सरकार के विभाग/निगम/बोर्ड/उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थान/विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मिकों के लिये उपरोक्त प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष (सक्षम अधिकारी) द्वारा प्रमाणित किया जावे।
2. शेष अन्य अभ्यर्थियों हेतु संबंधित एडीएम/एसडीएम/तहसीलदार (सक्षम अधिकारी) द्वारा प्रमाणित किया जावे। इसके लिये परिशिष्ट -IX का उपयोग किया जावे।
3. यदि माता-पिता दोनों सेवारत हैं तो दोनों की आय जोड़ी जायेगी। इस हेतु उपरोक्त प्रपत्र को अतिरिक्त प्रति में भर कर प्रस्तुत करना होगा।